ऑफ लाइन नामांकन प्रपत्र को भरने के लिए निर्देश

(महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना)

कृपया इस प्रपत्र को भरने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का संदर्भ लें। इस प्रपत्र के रद्द किए जाने से बचने के लिए कृपया यह सुनिश्चित करें कि यह सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण है और इसके साथ सभी सहायक दस्तावेज संलग्न है।

<u>एमजीपीएसवाई नामांकन प्रपत्रों को पूरा करने के लिए निर्देश</u>

1. इस प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को सौंपा जाना अनिवार्य है:

- पासपोर्ट की दो छाया प्रतियां (प्रथम और अंतिम पृष्ठ)
- पीओई अनुमति की प्रति
- रोजगार पत्र की प्रति
- वीजा की प्रति
- पासपोर्ट आकार के तीन रंगीन फोटो
- एमजीपीएसवाई में अंशदान संसाधन हेतु प्रयुक्त किए जाने के लिए भारत में स्थित बैंक खाते का रद्द किया गया चेक

2. यह सुनिश्चि किया जाए कि सभी अनिवार्य कोष्ठकों (* तारांकित चिह्न वाले) को पूर्णत: भरा गया है।

3. कृपया पृष्ठ संख्या 2 पर कम से कम एक नामिति का ब्यौरा दें।

- यदि नामिति अल्पवय (18 वर्ष से कम आयु) है तो कृपया नामिति के अभिभावक का ब्यौरा पृष्ठ संख्या 3 पर दें।

4. कृपया उस अंशदान का ब्यौरा दें अर्थात् जो राशि एमजीपीएसवाई के अंतर्गत उपभोक्ता एनपीएस-लाइट (पेंशन) और यूटीआई (वापसी और पुनर्वास) में निवेश करना चाहता है।

- कृपया उस अवधि (वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, तिमाही या मासिक) का उल्लेख करें जिसके लिए इस राशि को इस योजना में निवेश किया जाना है।

5. यदि उक्त उपभोक्ता "म्युचुअल फंड में विद्यमान निवेशक" है तो कृपया जिस योजना में राशि निवेश की गयी है और उक्त निवेश हेतु जो फोलियो संख्या आबंटित की गयी है, का ब्यौरा दें।

6. ईसीएस अधिदेश प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 8 में यदि संदेह हो तो कृपया संबंधित स्थानों को खाली छोड़ दें और इसे दी गयी सूचना के आधार पर सेवा प्रदाता द्वारा पूरा किया जाएगा।

7. निम्नलिखित पृष्ठों पर दिए गए बैंक रिकार्ड के अनुसार हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान:

क. पृष्ठ संख्या 1, रंगीन फोटो के नीचे

ख. पृष्ठ संख्या 5 के नामोद्दिष्ट बॉक्स में। कृपया इस खंड में तिथि और स्थान को पूरा करें।

ग. पृष्ठ संख्या 6 (एनपीएस लाइट प्रपत्र) के नामोद्दिष्ट बॉक्स में। इस स्थान पर अपने (उपभोक्ता) नाम और तिथि की प्रवृष्टि करते हुए घोषणा को पूरा करें।

घ. पृष्ठ संख्या 7 (यूटीआई प्रपत्र), नामोद्दिष्ट बॉक्स में।

ड. पृष्ठ संख्या 8 (ईसीएस अधिदेश प्रपत्र)। साथ हीं इस खंड में तिथि भरें।

8. सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण नामांकन प्रपत्र को "एमजीपीएसवाई नामांकन प्रपत्र" शीर्षक से निम्नलिखित पते पर मंत्रालय के कार्यालय को भेजा जाए-

अवर सचिव (ईपी -1)

कमरा संख्या 937

9वां तल, अकबर भवन,

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली- 110021

भारत